"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 मई 2012—वैशाख 26, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक 4002/1458/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक (एक) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(एक) प्रश्नपत्र-(एक)-विधि (अधिकतम अंक 100)

(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
परिसीमा अधिनियम, 1963
छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961
(अधिकतम अंक-25)

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
भारतीय दण्ड संहिता, 1860
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

(अधिकतम अंक-25)

(ग) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
भारतीय वन अधिनियम, 1927
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(अधिकतम अंक-25)

(घ) अभिवचन के सिद्धांत
अभिहस्तांतरण
भारतीय संविधान

(अधिकतम अंक-25)

2. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक (तीन) में, अंक "30" के स्थान पर अंक "20" प्रतिस्थापित किया जाये.

Raipur, the 16th May 2012

NOTIFICATION

No. 4002/1458/XXI-B/C.G./2012.—In exercise of powers conferred by Article 233 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—
1. For serial number I of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

I. Paper-I. Law (Maximum marks-100)

(A) The Code of Civil Procedure, 1908
The Indian Evidence Act, 1872
The Limitation Act, 1963
The Chhattisgarh Accommodation Control Act, 1961

(Maximum marks-25)

(B) The Code of Criminal Procedure, 1973
The Indian Penal Code, 1860
The Prevention of Corruption Act, 1988
The Chhattisgarh Excise Act, 1915
The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985

(Maximum marks-25)

(C) The Transfer of Property Act, 1882
The Indian Contract Act, 1872
The Specific Relief Act, 1963
The Indian Forest Act, 1927
The Wild Life (Protection) Act, 1972
The Environment (Protection) Act, 1986

(Maximum marks-25)

(D) Principles of Pleading
Conveyance
The Constitution of India

(Maximum marks-25)

2. In serial number III of Schedule-III, for the figure "30" the figure "20" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.